प्रेस नोट-जनपद सीतापुर

थाना इमलिया सुल्तानपुर पुलिस द्वारा 24 घंटे के भीतर सनसनीखेज गोलीकांड का सफल अनावरण: हत्या में शामिल हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त सहित 06 गिरफ्तार, आलाकत्ल अवैध बंदूक 12 बोर, जिन्दा व खोखा कारतूस बरामद

दिनांक 05.08.2026

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री अंकुर अग्रवाल द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम व नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही/शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त निर्देश के अनुपालन के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी श्री दुर्गेश कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी महोली श्री नागेन्द्र चौबे के कुशल पर्यवेक्षण में थाना इमलिया सुल्तानपुर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए बेलामऊ खुर्द में हुई विजय विक्रम की हत्या (गोलीकांड) मु0अ0सं0 201/2026 धारा 103(1)/191(2)/191(3)/3(5) बीएनएस की घटना का 24 घंटे के भीतर सफल अनावरण करते हुए घटना में शामिल सभी 06 अभियुक्तों को वहद ग्राम बेनियापुर गौशाला के पास तिराहे से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार मुख्य अभियुक्त **बदलू पूर्व से ही आपराधिक प्रवृत्ति का शातिर अपराधी एवं थाना इमलिया सुल्तानपुर का हिस्ट्रीशीटर (HS NO 216A) है।** मुख्य अभियुक्त बदलू की जामा तलाशी से 02 अदद जिन्दा कारतूस (12 बोर) बरामद हुए। तत्पश्चात अभियुक्त बदलू की निशानदेही पर घटनास्थल से करीब 50 मीटर दूर भीमसेन के गन्ने के खेत से छिपाकर रखी गई 01 अदद अवैध बंदूक 12 बोर तथा 03 अदद खोखा कारतूस 12 बोर बरामद किए गए।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:

1.**बदलू** पुत्र विन्द्रा, उम्र करीब 65 वर्ष, निवासी ग्राम बेलामऊ खुर्द, थाना इमलिया सुल्तानपुर, सीतापुर

2.**महेश** पुत्र विन्द्रा, निवासी ग्राम बेलामऊ खुर्द, थाना इमलिया सुल्तानपुर, सीतापुर

3.**संजीव** पुत्र बदलू, निवासी ग्राम बेलामऊ खुर्द, हालपता ग्राम पीतपुर, थाना कोतवाली देहात, सीतापुर

4.**सरवन उर्फ श्रवण कुमार** पुत्र बदलू, निवासी बेलामऊ खुर्द, हालपता बद्रीखेड़ा, थाना खैराबाद, सीतापुर

5.**ऊदन उर्फ ऊदल राठौर** पुत्र बदलू, निवासी बेलामऊ खुर्द, हालपता मो0 पूर्णागिरी, थाना कोतवाली नगर, सीतापुर

6.**राम भजन** पुत्र महेश, निवासी ग्राम बेलामऊ खुर्द, थाना इमलिया सुल्तानपुर, सीतापुर

घटना का संक्षिप्त विवरण:

दिनांक 04.08.2026 को थाना इमलिया सुल्तानपुर क्षेत्र के ग्राम बेलामऊ खुर्द में विजय विक्रम पुत्र केसरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में थाना इमलिया सुल्तानपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया था।

पूछताछ का विवरण (हत्या का कारण):

पूछताछ करने पर मुख्य अभियुक्त बदलू ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि मृतक विजय विक्रम का लड़का (अमन उर्फ अंग्रेज) करीब 8 माह पूर्व उसकी पुत्री को भगा ले गया था। इसी रंजिश व पुरानी कहासुनी के बदले की भावना में आकर अभियुक्तों ने योजनाबद्ध तरीके से घात लगाकर विजय विक्रम को रास्ते में रोका—

बदलू व उसके भाई महेश ने बंदूक से सीने में गोली मारकर विजय विक्रम की हत्या की।

संजीव व श्रवण ने मृतक को पकड़ा था।

ऊदन उर्फ ऊदल व राम भजन आने-जाने वाले लोगों की निगरानी (रेकी) कर रहे थे।

बरामदगी का विवरण:

- 01 अदद अवैध देशी बंदूक 12 बोर (आलाकत्ल)
- 03 अदद खोखा कारतूस 12 बोर
- 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर

बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 25(1-बी) व 27(1) शस्त्र अधिनियम की बढ़ोत्तरी कर अभियुक्तों का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तार बदलू (हिस्ट्रीशीटर - HS NO 216A) का आपराधिक इतिहास:

1. मु0अ0सं0 416/1984 धारा 395, 397 भादवि, थाना इमलिया सुल्तानपुर, जनपद सीतापुर।
2. मु0अ0सं0 60/1985 धारा 395, 397 भादवि, थाना इमलिया सुल्तानपुर, जनपद सीतापुर।
3. मु0अ0सं0 241/2004 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट, थाना इमलिया सुल्तानपुर, जनपद सीतापुर।
4. मु0अ0सं0 201/2026 धारा 103(1)/191(2)/191(3)/3(5) बीएनएस व 25(1बी)/27(1) आर्म्स एक्ट, थाना इमलिया सुल्तानपुर, जनपद सीतापुर।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम: आशीष तिवारी (थाना प्रभारी, थाना इमलिया सुल्तानपुर), उ0नि0 मो0 शमीम खां, रि0का0 नवीन कनौजिया, रि0का0 प्रदीप कुमार, हे0का0 (चालक) राघवेंद्र मिश्रा, का0 सुनील कुमार, का0 किशन रावत, रि0आ0 सुब्रत शुक्ला, रि0आ0 हनी दुबे